

११/१३

संख्या: 542 / VII-1 / 15 उद्योग / 2015

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य निवेश/विनिवेश,
आयुक्त,
उत्तराखण्ड,
28 बारखम्बा रोड, नई दिल्ली।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 2

देहरादून : दिनांक : 06 अगस्त, 2015

विषय: निवेश एवं अवस्थापना विकास आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड के ढांचे की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 887/VII/45 उद्योग/2004 दिनांक 18.5.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निवेश एवं अवस्थापना विकास आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढांचे में कुल 15 पदों को सम्मिलित करते हुये निम्नांकित पदों के अनुसार पुर्नगठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र०सं०	पदनाम	पद सं०	वेतनमान	अर्हता	चयन का स्रोत
1	मुख्य निवेश/ विनिवेश आयुक्त	01	80,000		अखिल भारतीय सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर अथवा शासन के कार्यहित में निर्णयानुसार।
2.	निवेश/विनिवेश अपर आयुक्त	01	37,400-67,000 ग्रेड पे-10,000	उच्च जनसम्पर्कीय क्षमता, भारत सरकार एवं विदेशी दूतावासों आदि के कार्यप्रणाली व अन्तर्राष्ट्रीय नयाचार नियमों का पूर्ण ज्ञान।	प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/इन कार्यों से भिन्न राज्य/भारत सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारी को अनुबंध के आधार पर।
3	उप-निवेश आयुक्त/विशेष कार्याधिकारी	01	37,400-67,000 ग्रेड पे-8700	उच्च जनसम्पर्कीय क्षमता, भारत सरकार एवं विदेशी दूतावासों आदि के कार्यप्रणाली व अन्तर्राष्ट्रीय नयाचार नियमों का पूर्ण ज्ञान।	प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/इन कार्यों से भिन्न राज्य/भारत सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारी को अनुबंध के आधार पर।
4.	स्टाफ आफीसर	01	15600-39100 ग्रेड पे-5400	राज्य सरकार के नियमानुसार।	प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/सीधी भर्ती।

5.	अपर निजी सचिव	02	9300-34800- ग्रेड पे-4200	राज्य सरकार के नियमानुसार तथा हिन्दी/अंग्रेजी में दक्ष ।	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती ।
6.	जनसम्पर्क अधिकारी	01	9300-34800 ग्रेड पे-4800	राज्य सरकार के नियमानुसार तथा हिन्दी/अंग्रेजी में दक्ष ।	प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/ सीधी भर्ती ।
7.	सहायक समीक्षा अधिकारी	01	9300-34800 ग्रेड पे-4200	राज्य सरकार के नियमानुसार तथा हिन्दी/अंग्रेजी में दक्ष ।	सीधी भर्ती ।
8.	कम्प्यूटर आपरेटर	01	5200-20200 ग्रेड पे-2000	राज्य सरकार के नियमानुसार तथा हिन्दी/अंग्रेजी में दक्ष ।	प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/ सीधी भर्ती ।
9.	अनुसेवक	03			आउटसोर्सिंग ।
10.	वाहन चालक	03			आउटसोर्सिंग ।

यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०पं सं० 388/XXXVII(2)/2015 दिनांक 3 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
मुख्य सचिव।

संख्या: 592/VII-1/15 उद्योग/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निजी सचिव, मा० मंत्री औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-7/2 उत्तराखण्ड शासन।
8. एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, देहरादून/नई दिल्ली।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नई दिल्ली।
10. एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा० आर० राजेश कुमार)
अपर सचिव।